श्री बलदेव राम मिर्धा किसान शिक्षण संस्थान धनाऊ जिला-बाड़मेर

1. छात्रावास का नाम:- श्री बलदेव राम मिर्धा किसान शिक्षण संस्थान धनाऊ जिला-बाइमेर, (राज.)

रजिस्ट्रेशन क्रमांक:- COOP/2022/BARMER/ 204864

मोबाईल नंबर:- 94 6201 6455, 9460086990

2. इतिहास:- बाइमेर जिले के धनाऊ पंचायत समिति के राजस्व गांव पावड़ों का तला में स्थित खसरा संख्या- 685/613 रकबा 4 बीघा भूमि खुमाणी पावङ परिवार धनाऊ द्वारा सरपंच सुरताराम सांई के कार्यकाल के दौरान 1995 ई. में अस्पताल निर्माण बाबत राज्य सरकार को समर्पित की थी लेकिन कतिपय कारणों से अस्पताल का निर्माण उक्त भूमि पर ना होकर अन्यत्र जगह पर करवा दिया गया जिसके कारण उक्त भूमि राज्य सरकार के पास जाने से पिछले 25 वर्षों से इसका कोई सद्पयोग नहीं हो रहा था।

2020 में जाट समाज के लिए प्रगतिशील सोच रखने वाले समाज बंधुओं द्वारा धनाऊ के पंचायत समिति बनने पर जाट समाज के नाम से मुख्यालय पर सामाजिक छात्रावास/संस्थान की जरूरत महसूस करते हुए इस भूमि का आवंटन जाट समाज के नाम से करवाने के लिए धनाऊ सरपंच रम्भा देवी के कार्यकाल में श्री बलदेव राम मिर्धा किसान शिक्षण संस्थान चौहटन की प्रबंधन कार्यकारिणी के सानिध्य एवं मार्गदर्शन में श्री जगदीश जी गोदारा नेतराइ, श्री सादुलाराम जी सियोल आलमसर लुम्भाराम जी पावड धनाऊ, जगदीश पोटलिया श्रीरामवाला सहित अन्य समाज बंधुओं

के प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहयोग से श्री बलदेवराम मिर्धा किसान शिक्षण संस्थान चौहटन की उपशाखा धनाऊ के नाम से पत्रावली तैयार करके जिला कलेक्टर बाड़मेर के मार्फ़त राज्य सरकार को भिजवाई गई और जहां शासन सचिवालय में बायतु विधायक राजस्व मंत्री माननीय हरीश जी चौधरी और विशेषकर गुड़ामालानी विधायक वन एवं पर्यावरण मंत्री माननीय हेमाराम जी चौधरी के सार्थक प्रयासों से दिनांक 03 जून 2022 को शासन सचिवालय से उक्त भूमि के कीमतन आवंटन की राजकीय स्वीकृति जारी हुई।

3- कार्यकारिणी — ततपश्चात 05 अगस्त 2022 को धनाऊ पंचायत समिति के जाट समाज बंधुओं की छात्रावास निर्माण बाबत प्रथम बैठक आवंटित भूमि स्थल पर आयोजित बैठक में श्री बलदेव राम मिर्धा किसान शिक्षण संस्थान धनाऊ की कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मति से निम्नानुसार किया गया:-

क्र.स./पदाधिकारी नाम व पिता का नाम/व्यवसाय/ पता/पद/मो. नंबर:-

- 1.श्री भोमाराम/रामाराम सारण, कृषि कार्य, V/P. श्रीरामवाला, अध्यक्ष, 9998532546
- 2. श्री लुम्भाराम/ ठाकराराम पावड़, नौकरी, V/P. पावड़ो का तला, सचिव 9460086990
- 3. श्री पूनमचन्द/जेठाराम जाखड़, V/P. मन्दिरवाला, श्रीरामवाला, कोषाध्यक्ष, 9462016455
- 4. " रमेश चौधरी/नारणाराम पोटलिया, कृषि कार्य, V/P. श्रीरामवाला, उपाध्यक्ष, 9799518672

- 5. " गोरधनराम/सामाराम बैनीवाल, नौकरी, V/P. गोरों का तला, धनाऊ, संयुक्त सचिव, 9799768896
- 6. " खेताराम/रावताराम पावड़, कृषि कार्य, V/P. पावड़ो का तला, व.उपाध्यक्ष, 9950119122
- 7. " करनाराम/सिरदाराराम सारण, V/P. मन्दिरवाला, श्रीरामवाला,प्रचार सचिव, 9799077425
- 8. "फगलूराम/ईशराराम पावड़, कृषि कार्य, V/P. गोरों का तला, धनाऊ,संगठन सचिव, 9414915722
- 9. " ओमप्रकाश/तेजाराम मोगा, नौकरी, V/P. सारणों की नाडी सदस्यगण, 9983705577
- 10. " भगाराम/रामलाल सारण V/P. सारणों की नाडी, 9928269724
- 11. " अमेदाराम/ईशराराम डूडी, V/P. मन्दिरवाला, श्रीरामवाला,9001514951
- 12. " बालाराम/चीमाराम सऊ, भू. सैनिक V/P. श्रीरामवाला, 9929237201
- 13. " भंवरलाल/गुमनाराम ढाका, कृषि कार्य V/P. ढाको का तला, 9929894769
- 14. " केशाराम/अचलाराम नेहरा, V/P. बामनौर 7727806288
- 15. " मोटाराम/लाधुराम सेंवर, नौकरीV/P. बाण्डा बेरा, 9024061955
- 16. "रेखाराम/बांकाराम पावड़ नौकरी V/P. श्रीरामवाला, 9660355624
- 17. " मघाराम/हमीराराम गौरा, भूतपूर्व सरपंच V/P. गोरों का तला, धनाऊ, 9929974335
- 18. " रायचन्द/मेहाराम सियाग V/P- धनाऊ 9414573469

- 19. " भारमलराम/पूनमाराम तरड़, V/P- डेल्ओ का तला,94604 04321
- 20. " रूपाराम/रायचन्द राम सारण, V/P- सारणों की नाडी, 9829688398
- 21." किशनाराम/त्लसाराम धतरवाल सरपंच V/P-दीनगढ़ 9799166699

तत्पश्चात श्री बलदेव राम मिर्धा किसान शिक्षण संस्थान चौहटन द्वारा दिनांक 13 सितंबर 2022 को लिए गए निर्णय की अन्पालना में श्री बलदेवराम मिर्धा शिक्षण संस्थान धनाऊ की प्रबंध कार्यकारिणी के सानिध्य व मार्गदर्शन में कोषाध्यक्ष पूनमचन्द जाखङ द्वारा श्री बलदेव राम मिर्धा शिक्षण संस्थान धनाऊ का अलग से सहकारिता विभाग बाइमेर में पंजीयन दिनांक 04 अक्टूबर 2022 को करवाते हुए संस्थान के नाम का बैंक खाता, पैन कार्ड सहित अन्य आवश्यक कागजात तैयार करवाते ह्ए संस्थान की भूमि की कीमत 67108₹ राज्य सरकार को अदा करने के उपरांत दिनांक 12 दिसंबर 2022 को जिला कलेक्टर बाड़मेर द्वारा जारी आदेशान्सार धनाऊ के पावड़ो का तला के खसरा नंबर 685/613 रकबा 4 बीघा भूमि का आवंटन धनाऊ पटवारी जोगाराम जाखङ द्वारा धनाऊ सरपंच खेमी देवी के कार्यकाल में संस्थान के नाम कब्जा सुपुर्द एवं सीमांकन करके नामांतरण की कार्यवाही की गई है वर्तमान में संस्थान का मुख्य दरवाजा एवं नाम बोर्ड लगवाते हुए 76 आजीवन सदस्यों द्वारा जमा 11000₹ आजीवन सदस्यता शुल्क से चारदीवारी एवं पेयजल टांका निर्माण का कार्य प्रगति पर है। संस्थान के नाम से विद्युत कनेक्शन

भी करवा लिया है। शीघ्र ही आगामी कार्य योजना बनाते हुए जाट समाज के लिए एक भव्य शैक्षिक संस्थान तैयार किया जाएगा।

8.	" फगलूराम/ईशराराम पावड़	कृषि कार्य	V/P. गोरों का तला, धनाऊ	संगठन सचिव	9414915722
9.	" ओमप्रकाश/तेजाराम मोगा	नौकरी	V/P. सारणों की नाडी	सदस्यगण	9983705577
10.	" भगाराम/रामलाल सारण		V/P. सारणों की नाडी		9928269724
11.	" अमेदाराम/ईशराराम डूडी	n	V/P. मन्दिरवाला, श्रीरामवाला		9001514951
12.	" बालाराम/चीमाराम सऊ	भू. सैनिक	V/P. श्रीरामवाला	*	9929237201
13.	" भंवरलाल/गुमनाराम ढाका	कृषि कार्य	V/P. ढाको का तला		9929894769
14.	" केशाराम/अचलाराम नेहरा		V/P. बामनौर		7727806288
15.	" मोटाराम/लाधुराम सेंवर	नौकरी	V/P. बाण्डा बेरा	·., .• · · .	9024061955
16.	• रेखाराम/बांकाराम पावड़		V/P. श्रीरामवाला	•	9660355624
17.	" मघाराम/हमीराराम गौरा	कृषि कार्य	V/P. गोरों का तला, धनाऊ		9929974335
18.	" रायचन्द/मेहाराम सियाग	.,;;	V/P- धनाऊ		9414573469
19.	" भारमलराम/पूनमाराम तरड़		V/P- डेलूओ का तला		94604 04321
20.	" रूपाराम/रायचन्द राम सारण		V/P- सारणों की नाडी	** Proto	9829688398
21.	" किशनाराम/तुलसाराम धतरवाल	. "	V/P- दीनगढ़		9799166699

अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव बलदेवराम मिर्धा किसान शिक्षण संस्थान, धनाऊ (बाड़मेर)



Scanned with OKEN Scanner

Signature valid
Digitally signed by Jay Int Jaipal
Designation REGIS RAR
Date: 2022. 10 04 17.36:05 IST Digitally signed by Joesignation, REG Date: 2022. No. 4 1 Reason: Approve Location: Barmer



श्री बलदेवराम मिर्धा किसान शिक्षण संस्थान धनाऊ (बाड़मेर) संघ विधान पत्र

- 1. संस्था का नाम :- इस संस्था का नाम श्री बलदेवराम मिर्धा किसान शिक्षण संस्थान धनाऊ है व रहेगा।
- पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र :- इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय श्री बलदेवराम मिर्था किसान शिक्षण संस्थान धनाऊ हैं तथा इसका कार्यक्षेत्र धनाऊ तहसील/पंचायत समिति की भौगोलिक सीमा क्षेत्र तक सीमित रहेगा।
- 3. संस्था के उद्देश्य :- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है-
 - छात्र-छात्राओं के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध करवाना।
 - प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों के लिए समुचित तैयारी हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना।
 - प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृतियां, पुरस्कार तथा जरूरतमंद को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
 - सामाजिक कुरीतियों के प्रति समाज मे जन-जागृति करके रोकने का प्रयास करना।
 - शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना।
 उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नही है।
- 4. संस्था का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :-

क्र.स.	पदाधिकारी नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद	मो. नंबर
1.	श्री भोमाराम/रामाराम सारण	कृषि कार्य	V/P. श्रीरामवाला	अध्यक्ष	9998532546
2.	" लुम्भाराम/ठाकराराम पावड़	नौकरी	V/P. पावड़ो का तला	सचिव	9460086990
3.	" पूनमचन्द/जेठाराम जाखड़	н	V/P. मन्दिरवाला, श्रीरामवाला	कोषाध्यक्ष	9462016455
4.	" रमेश चौधरी/नारणाराम पोटलिया	कृषि कार्य	V/P. श्रीरामवाला	उपाध्यक्ष	9799518672
5.	" गोरधनराम/सामाराम बैनीवाल	नौकरी	V/P. गोरों का तला, धनाऊ	संयुक्त सचिव	9799768896
6.	" खेताराम/रावताराम पावड़	कृषि कार्य	V/P. पावड़ो का तला	व.उपाध्यक्ष	9950119122
7.	" करनाराम/सिरदाराराम सारण	•	V/P. मन्दिरवाला, श्रीरामवाला	प्रचार सचिव	9799077425

अध्यक्ष में जिल्लास्यक्ष सचिव बलदेवराम मिर्धा किसान शिक्षण संस्थान, धनाऊ (बाइमेर)





Scanned with OKEN Scanner

Signature yalid

Digitally signed by Jayant Jaipa Designation REGS RAR Date: 2022. N 04/1.36:05 IST Reason: Approver Location: Barmer



श्री बलदेवराम मिर्धा किसान शिक्षण संस्थान धनाऊ (बाड़मेर) "विधान & नियमावली"

- 1.संस्था का नाम:- इस संस्था का नाम श्री बलदेवराग गिश्रा किसान शिक्षण संस्थान धनाऊ है और रहेगा।
- पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र:- इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय श्री बलदेवराम विश्व किसान शिक्षण संस्थान धनाऊ है तथा इसका कार्यक्षेत्र धनाऊ तहसील/पंचायत समिति क्षेत्र की भौगोलिक सीमा क्षेत्र तक सीमित रहेगा।
- 3. संस्था के उद्देश्य:- इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है:-
 - १. छात्र-छात्राओं के लिए आवारा की सुविधा उपलब्ध करवाना।
 - २. प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों के लिए समुचित तैयारी हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना।
 - प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृतियां, पुरस्कार तथा जरूरतगंद को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
 - ४. सामाजिक कुरीतियों के प्रति समाज मे जन-जागृति करके रोकने का प्रयास करना।
 - ५. शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

- 4. सदस्यता:- निम्न योग्यता रखने वाले संस्था के सदस्य बन सकते हैं:-
 - १. संस्था के कार्यक्षेत्र में निवास करता हो।
 - २. वालिग हो।
 - ३. पागल या घोषित दिवालिया न हो।
 - ४. संस्था के उद्देश्यों में रुचि और आस्था रखता हो।
 - ५. संस्था के हितों को सर्वोपरी समझता हो।
- 5. सदस्यों का वर्गीकरण:- संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत किए जा सकेंगे:-
 - १, आजीवन सदस्य

२. साधारण सदस्य

सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा:- उपनियम 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा:-

१. आजीवन सदस्य:-

11000₹

२. साधारण सदस्य:-

2100₹ से

उक्त राशि एकमुश्त 11000₹ अथवा 2100₹ जमा कराई जा सकेगी।

अध्ये योगाच्यक्ष सचिव यहादेवराम मिया किसान शिक्षण संस्थात, धनाऊ (बाइमेर)





Scanned with OKEN Scanner

Digitally signed by Jayant Jaipal Designation, REGIS RAR Date: 2022. 1004 1.36:06 IST

Reason: Appro-Location: Barme



तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक एवं सर्वमान्य होंगे।

11. कार्यकारिणी का गठन:- संस्था के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक प्रबन्धकार्यकरिणी का गठन किया जाएगा जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न होंगे:-

> साधारण सभा द्वारा निर्वाचित १. अध्यक्ष एक २. उपाध्यक्ष एक ३. सचिव एक ४. कोषाध्यक्ष एक ५. व. उपाध्यक्ष -एक कार्यकारिणी द्वारा मनोनीत ६. संयुक्त सचिव -७. संगठन सचिव -८. प्रचार सचिव -एक निर्वाचित तेरह (13) ९. सदस्य -

इस प्रकार प्रबन्धकार्यकरिणी में 8 पदाधिकारी और 13 सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन:- १. संस्था की प्रबन्धकार्यकारिणी का चुनाव 5 वर्ष की अविध के लिए साधारण सभा द्वारा

किया जाएगा।

- २. चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जाएगा।
- ३. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकार्यकरिणी द्वारा की जाएगी।
- 13. कार्यकारिणी के अधिकार व कर्तव्य:- संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्तव्य होंगे।
 - १. सदस्य बनाना/निष्कासित करना।
 - २. वार्षिक बजट तैयार करना।
 - ३. संस्था की संपत्ति की संरक्षा व सुरक्षा करना।
 - ४. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना
 - ५. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों की क्रियान्विति करना।
- 14. कार्यकारिणी की बैठक व कौरम पूर्ति:- संस्था की प्रबन्धकार्यकरिणी की बैठकें, गणपूर्ति एवं प्रक्रिया निम्न प्रकार से होगी:

77) भाग है जिलाहर्यक्ष संखित जलदेवराम मिर्धा किसान शिक्षण संस्थान, धनाऊ (बाडुमेर)

Scanned with OKEN Scanner

Signature yalid

Digitally signed by Jayant Jaipa Designation, REGIS RAR Date: 2022. 10.14 1.36:06 IST

Reason: Appro-Location: Barme



- 7. सदस्यता से निष्कासन:- संस्था सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार से किया जा सकेगा:-
 - र. मृत्यु होने पर।
 - २. त्याग पत्र देने पर।
 - ३. संस्था के उद्देश्यों के विपरित कार्य करने पर।
 - ४. प्रबन्धकार्यकारिणी द्वारा दोशी पाए जाने पर।

उक्त प्रकार से निष्कासन कि अपील 15 दिन के अंदर-अंदर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के विर्णय हेतु देय समझी जाएगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अंतिम होगा।

- साधारण सभा:- संस्था के उपनियम संख्या 5 में बिंदु संख्या १ में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य साधारण सभा के सदस्य माने जाएंगे।
- साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य:- साधारण सभा के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य होंगे:-
 - १. प्रबन्धकार्यकरिणी का चुनाव करना।
 - २. वार्षिक बजट पास करना।
 - प्रबन्धकार्यकरिणी द्वारा किए/कराए गए कार्यों की समीक्षा एवं पुष्टि करना।
 - ४. संस्था के कुल सदस्यों में से आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन तथा परिवर्द्धन करना "रजिस्ट्रार" के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर लागू होगा।
- 10. साधारण सभा की बैठक:-
- १. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष/सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकती है।
- २. साधारण सभा की बैठक का कौरम कुल सदस्यों का आधे से अधिक होगा।
- ३. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व आवश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जाएगी।
- ४. कौरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः सात दिवस पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कौरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वहीं होंगे जो पूर्व एजेंडा में थे।
- ५. संस्था के 1/3 अथवा 10 सदस्य इनमें से जो भी कम हो के लिखित आवेदन पर सचिव/अध्यक्ष द्वारा एक माह के अंदर-अंदर बैठक आहत करना अनिवार्य होगा।
- ६. निर्धारित अविध में बैठक नहीं बुलाए जाने पर उक्त 1/3 या 10 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे

अध्यक्ष में को जार्च्यक्ष सचिव बलदेवराम मिर्धा किसान शिक्षण

300

Scanned with OKEN Scanner

Signature yalid

Digitally signed by Jay Int Jaipal Designation, REGIS RAR Date: 2022. 1004 1.36:06 IST

Reason: Approv



- ং. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 2 बैठके अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/ सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकती है।
- २. बैठक का कौरम प्रबन्धकार्यकरिणी की कुल संख्या से आधे से अधिक होगा।
- बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जाएगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।
- ४. कौरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। लेकिन विचारणीय विषय वहीं होंगे जो पूर्व एजेंडा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों को अतिरिक्त प्रबन्ध-कार्यकरिणी के कम से कम दो निर्वाचित पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आमसभा में कराना आवश्यक होगा।
- 15. प्रबन्धकार्यकरिणी के पदांधिकारियों के अधिकार व कर्तव्यः- संस्था की प्रबन्धकार्यकरिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे:-
- 1. अध्यक्ष:-
 - १. बैठकों की अध्यक्षता करना।
 - २. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
 - ३. बैठकें आहूत करना।
 - ४. संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।
 - ५. संस्था का प्रतिनिधित्व करना
 - ६. अन्य जो संस्था हित मे हो।
- 2. उपाध्यक्ष:-
 - १. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
 - २. प्रबन्धकार्यकरिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।
- 3. सचिव:-
- १. बैठकें आहूत करना।
- २. कार्यवाही लिखना और रिकॉर्ड लिखना/रखना।

अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सर्विव बलदेवराप मिर्घा किसान शिक्षण संस्थान, धनाऊ (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

Signature yalid

Digitally signed by Designation REG Date: 2022. 36:06 IST

Reason: Appro Location: Barme



- ३. आय-च्यय पर नियंत्रण करना व बैंक लेनदेन पर हस्ताक्षर करना।
- ४. वैतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।
- ५. संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
- ६. पत्र व्यवहार करना।
- ७. सम्पति की सुरक्षा हेतु अन्य कोई जो आवश्यक हो।

4. कोषाध्यक्ष:-

- १. वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।
- २. दैनिक लेखों पर नियंत्रण रखना।
- ३. चन्दा/शुल्क/अनुदान राशि आदि प्राप्त कर रसीद देना।
- ४. बैंक लेनदेन पर हस्ताक्षर व केशबूक तैयार करना।
- ५. अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

5. व. उपाध्यक्ष:-

- १. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष सहित प्रबन्धकार्यकरिणी के समस्त कार्यों में सहयोग व मार्गदर्शन करेंगे।
- २. प्रबन्धकार्यकरिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का सदुपयोग करेंगे।

6. संयुक्त सचिव:-

- १. सचिव के समस्त कार्यों में सहयोग करेंगे। उनकी अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव, सचिव के रूप में कार्य करेंगे।
- २. प्रबन्धकार्यकरिणी द्वारा प्रदत्त अन्य कार्यो को सम्पन्न करेंगे।

7. संगठन सचिव:-

- १. संगठन को मजबूत बनाने में सक्रिय योगदान देंगे।
- २. संस्था के विकास हेतु धन संग्रहण।

८. प्रचार सचिव:-

- १. संस्था के उद्देश्यों का प्रचार-प्रसार करेंगे।
- २. संस्था को सुदृढ बनाने में सहयोग।
- ३. संस्था के विकास हेतु धन संग्रह।

अध्यक्ष विषयः सचिव बलदेवराम मिर्धा किसान शिक्षण संस्थान, धनाऊ (बाडुमेर)

Scanned with OKEN Scanner

Signature yalid

Digitally signed by Jay int Jaipa Designation, REG S RAR Date: 2022. 1041.36:06 IST

Reason: Approve Location: Barmer



- 16. संस्था का कोष:- संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित रहेगा:-
 - १. चन्दा
 - २. शुल्क
 - ३. अनुदान
 - ४. सहायता
 - ५. राजकीय अनुदान
- उक्त प्रकार से संचित राशि मरुधरा ग्रामीण बैंक धनाऊ में सुरक्षित रखी जाएगी।
- अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेनदेन संभव होगा। जिसमें कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर होना अनिवार्य होगा।
- 17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार:- संस्था के हित मे तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकार कर सकेंगे:-
 - १. अध्यक्ष

150000₹

२. सचिव

130000₹ .

३.कोषाध्यक्ष


125000₹

- 18. संस्था का अंकेक्षण:- संस्था के समस्त लेखों-जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जाएगा।
- 19. संस्था के विधान में परिवर्तन:- संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों में आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।
- 20. संस्था का विघटन:- यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पित समान उद्देश्यों वाली संस्था को हस्तांतरित कर दी जाएगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था राजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 एवं 14 के अनुरूप होगी।
- 21. संस्था के लेखा-जोखों का निरीक्षण:- रजिस्ट्रार संस्थाएँ बाड़मेर को संस्था के निरीक्षण के पूर्ण अधिकार होगा एवं उनके द्वारा दिए गए सुझावों की पूर्वि की जाएगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त ^{*}विधान/नियमावली^{*} श्री बलदेवराम मिर्धा किसान शिक्षण संस्थान धनाऊ की सही व सच्ची प्रतिलिपि है।

> अध्यक्ष क्रीचेष बलदेवराम मिर्धा किसान शिक्षण संस्थान, धनाऊ (वाड़मेर)

uişat)



Signature yalid

Digitally signed by Jayant Jaipa Designation, REGISTRAR Date: 2022. 10.04 17.36:06 IST

Reason: Approv Location: Barme

